पत्र संख्या : 7ब/ स्था०व्य०ज०सं०–01–06/2019 ज०स०283

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अमिताभ कौशल
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/राँची/हजारीबाग/यॉ०
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 06/03/2020

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 49S27010300107 अन्तर्गत 8 कार्यालयों को विभिन्न मदों में कुल रू 22.209 लाख (सत्ताईस लाख बीस हजार नौ सौ रूपये मात्र) अतिरिक्त राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट मुख्य शीर्ष **2701– मध्यम सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701–मध्यम सिंचाई	03– मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001–निदेशन तथा प्रशासन/ 07–मध्यम सिंचाई परियोजना	**27.209**

कुल आवंटित राशि – रुपये सत्ताईस लाख बीस हजार नौ सौ मात्र

---

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 के संशोधित बजट उपबंध राशि ₹ 11207.98 लाख **(एक सौ बारह करोड़ सात लाख अंटानबे हजार मात्र)** के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98,1800 (वि॰) दि॰15.07.2003,1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित विभाग का पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक–29/बी०टी०ई०–18/2014.–15/300 दिनांक–30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा ।
11. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। **अतिरिक्त आबंटन की अधियाचना के विरूद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरूद्ध शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।**
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यापर्ण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय। साथ ही इकाईवार पूर्ण प्रत्यापर्ण प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke/Surrender No** का भी आवश्यक रुप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (***http://www.wrdjharkhand.nic.in)*** *पर भी उपलब्ध है।*

अनु० :– यथोक्त

(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :– 283 रॉची, दिनांक :– 06/03/2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो० –हिनू,रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा /देवघर / हजारीबाग/ चाईबासा सहित राज्य के **सभी कोषागार एवं उपकोषागार** पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथोक्त

(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :– 283 रॉची, दिनांक :– 06/03/2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, ज ल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता(मो०), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल–3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा–7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि०)	(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय) संयुक्त सचिव	(अमिताभ कौशल) सचिव

मुख्य शीर्ष–2701–मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–03–मध्यम सिंचाई–वाणिज्यिक
लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष–07–मध्यम सिंचाई परियोजना
मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

पत्रांक 283 दिनांक 06/3/2020 का अनुलग्नक

परिशिष्ट I

क0सं0	वित्तीय वर्ष 2019–2020 कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते: वेतन 49S270103001070101	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि 49S270103001070110	एल0टी0सी0 49S270103001070112	विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय: देशीय यात्रा व्यय 49S270103001070213	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय: कार्यालय व्यय 49S270103001070315	किराया,दरें, कर 49S270103001070316	आपूर्ति एवं सामग्री 49S270103001070323	दूरभाष 49S270103001070333	वर्दी 49S270103001070334	विद्युत व्यय 49S270103001070337	विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां: मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति 49S270103001070442	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय: विधि प्रभार 49S270103001070760	राशि लाख रूपये में: कुल योग	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, रॉंची	पूर्व का आवंटन	181.000	0.000	0.200	0.500	1.450	0.000	0.300	0.400	0.025	0.000	2.300	0.100	186.275	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.250	
		कुल आवंटन	181.000	0.000	0.200	0.500	1.550	0.000	0.300	0.400	0.025	0.000	2.450	0.100	186.525	
2	मुख्य अभि0 यांत्रिक, रॉंची	पूर्व का आवंटन	28.000	0.000	0.100	0.300	1.450	0.000	0.500	0.250	0.000	0.900	1.200	0.000	32.700	
		अतिरिक्त आवंटन	1.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.050	
		कुल आवंटन	29.000	0.000	0.100	0.300	1.500	0.000	0.500	0.250	0.000	0.900	1.200	0.000	33.750	
3	पुनर्वास पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, रॉंची	पूर्व का आवंटन	143.000	0.000	0.200	0.200	0.550	0.000	0.000	0.200	0.050	0.500	1.100	0.100	145.900	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.200	0.000	0.250	
		कुल आवंटन	143.000	0.000	0.200	0.200	0.550	0.000	0.000	0.250	0.050	0.500	1.300	0.100	146.150	
4	रूपांकण प्रमंडल सं.–2, देवघर	पूर्व का आवंटन	156.000	0.000	0.000	0.300	0.400	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.130	157.030	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.025	0.000	0.000	0.000	0.025	
		कुल आवंटन	156.000	0.000	0.000	0.300	0.400	0.000	0.000	0.000	0.225	0.000	0.000	0.130	157.055	
5	विशेष भू–अर्जन पदा0, चाईबासा	पूर्व का आवंटन	197.000	0.100	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.250	0.000	0.300	0.000	198.150	
		अतिरिक्त आवंटन	13.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.000	
		कुल आवंटन	210.000	0.100	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.250	0.000	0.300	0.000	211.150	
6	विशेष भू–अर्जन पदा0 तेनुघाट परियोजना, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	153.250	0.000	0.000	0.200	0.650	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.700	0.000	154.900	
		अतिरिक्त आवंटन	7.370	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.370	
		कुल आवंटन	160.620	0.000	0.000	0.200	0.650	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.700	0.000	162.270	
7	सिंचाई प्रमंडल, जसीडीह	पूर्व का आवंटन	280.000	0.000	0.000	0.900	0.700	0.220	0.100	0.100	0.250	0.700	1.500	0.300	284.770	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.664	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.964	
		कुल आवंटन	280.000	0.000	0.000	1.564	0.700	0.220	0.100	0.100	0.250	0.700	1.800	0.300	285.734	
8	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, रॉंची	पूर्व का आवंटन	275.000	0.000	0.200	0.900	0.700	0.000	0.100	0.150	0.575	0.250	1.400	0.100	279.375	
		अतिरिक्त आवंटन	4.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.300	
		कुल आवंटन	279.300	0.000	0.200	0.900	0.700	0.000	0.100	0.150	0.575	0.250	1.400	0.100	283.675	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		25.670	0.000	0.000	0.664	0.150	0.000	0.000	0.050	0.025	0.000	0.650	0.000	27.209	

नोटः वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध–14/2010–39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– रुपये सत्ताईस लाख बीस हजार नौ सौ मात्र

राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

अमिताभ कौशल
(सचिव)